K-SUB DIVISION

निरीक्षण प्रतिवेदन

अनुमण्डल कार्यालय - मोहनियाँ

निरीक्षण की तिथि - 05 मार्च, 2004

डॉ0 बी0 राजेन्दर, भा.प्र.से.
समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी
कैमूर (भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

निरीक्षण प्रतिवेदन

अनुमण्डल कार्यालयः- मोहनियाँ

निरीक्षण की तिथिः- 05, मार्च, 2004

डॉ0बी0राजेन्दर, भा0प्र0से0,
समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

Scanned with OKEN Scanner

डा0 बी0 राजेन्दर,भा.प्र.से. समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी कैमूर(भभुआ) द्वारा दिनांक–05.03.2004 को अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी ।

परिचय

शहाबाद जिला में अनुमण्डल के रूप में सम्मिलित भभुआ वर्ष 1991 में कैमूर जिला के रूप में अस्तित्व में आया । कैमूर जिला के गठन के पश्चात ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार पटना की अधिसूचना संख्या–271/का0 दिनांक–28 दिसम्बर 1991 के द्वारा मोहनियां अनुमण्डल का सृजन हुआ । इसके बाद कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार पटना द्वारा अपने पत्रांक–119/का0 दिनांक–4.12.95 से मोहनियां को स्वतंत्र रूप से अनुमण्डल का दर्जा प्रदान करते हुए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं आवंटन उपलब्ध कराया गया।

कैमूर(भभुआ) जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ जी.टी.रोड(एन.एच.–2) के ठीक बगल में दक्षिण तरफ अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां अवस्थित है । जी.टी.रोड से अनुमण्डल कार्यालय की दूरी लगभग 200 मीटर है । इसी परिसर में टेलीफोन एक्सचेन्ज,जलपथ प्रमण्डल एवं नलकूप प्रमण्डल का कार्यालय भी अवस्थित है । ग्रैन्ड कार्ड रेलवे लाईन इस अनुमण्डल से होकर गुजरती है एवं जी.टी. रोड का 51 किलोमीटर क्षेत्र भी पडता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.–30 भी स्थित है। इस अनुमण्डल के अन्तर्गत कुल चार नदिया है (1) दुर्गावती(2)कर्मनाशा (3) गेंहूंअनवा (4) कुदरा नदी । कुल 6 रेलवे स्टेशन है। मोहनियां अनुमण्डल बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है । मोहनियां से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगरी वाराणसी की दूरी 60 किलोमीटर है । इसके उत्तर में गाजीपुर एवं बक्सर जिला, पूरब तरफ रोहतास जिला एवं दक्षिण तरफ कैमूर जिला मुख्यालय स्थित है । यहां से रामगढ़ एवं नुआंव होते हुए बक्सर जानेवाली राष्ट्रीय उच्च पथ स्थित है । यहां पर कैमूर डेयरी का सयंत्र स्थापित है एवं बिहार राज्य पर्यटन विभाग द्वारा संचालित कैमूर होटल स्थित है । इसके साथ ही यहां पर भारतीय रेडक्रॉस सोसाईटी का संस्थान भी स्थापित है ।

पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से वरदान प्राप्त करके अहंकारी भष्मासुर ने जब भगवान शिव को ही भष्म करना चाहा तो भगवान शिव भाग चले और पीछे पीछे भष्मासुर उनका पीछा करने लगा । भगवान शिव की रक्षा करने हेतु श्रीहरि विष्णु ने मोहनियां में हीं मोहिनी रूप धारण करके भष्मासुर को भष्म किया था और शिव की रक्षा की थी । इसी कारण इस नगरी का नाम मोहनियां पड़ा था ।

मोहनियां अनुमण्डल के अन्तर्गत कुल पांच प्रखण्ड है 1–मोहनियां 2–कुदरा 3–दुर्गावती 4–रामगढ़ एवं 5–नुआंव । इन पांचों प्रखण्डों में मोहनियां कुदरा एवं दुर्गावती रेलवे लाईन से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अनुमण्डल से संबंधित अन्य सूचनायें निम्न प्रकार है :–

Scanned with OKEN Scanner

(1)	बाल विकास पदाधिकारियों की संख्या–	4
(2)	कुल प्रखण्डों की संख्या–	5
(3)	कुल अंचलों की संख्या–	5
(4)	परियोजना कार्यालयों की सं0–	3
(5)	वर्ष 2001की जनगणना के अनुसार कुल आबादी –	6,13,188
(6)	अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या–	1,65,166
(7)	अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या–	00
(8)	कुल परिवारों की संख्या–	1,07,319
(9)	कुल मजदूरों की संख्या–	200499
(10)	कुल रकवा –	1,06,958हेक्टेयर
(11)	कृषि योग्य भूमि –	87,468 हेक्टेयर
(12)	सिंचित क्षेत्र –	45,125
(13)	कुल ग्रामों की संख्या	709
	(क) चिरागी –	546
	(ख) बेचिरागी –	163
(13)	कुल पंचायतों की संख्या–	71
(14)	कुल रेलवे स्टेशनों की संख्या–	7
(15)	कुल बैंकों की संख्या–	35
(16)	महाविद्यालयों की संख्या–	1
(17)	उच्च विद्यालयों की संख्या–	25
(18)	मध्य विद्याालयों की संख्या–	43
(19)	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या–	303
(20)	कुल थाना/सहायक थाना की संख्या–	7
	(क) मोहनियां थाना	
	(ख) दुर्गावती थाना	
	(ग) कुदरा थाना	
	(घ) रामगढ़ थाना	
	(च) कुढ़नी थाना	
	(छ) कुछिला थाना	

Scanned with OKEN Scanner

(ज) नुआंव थाना

इसके अतिरिक्त मोहनियां शहर के बीचो बीच से होकर जी.टी.रोड़ (एन.एच.–2) गुजरती है । इसी अनुमण्डल के अन्तर्गत कर्मनाशा में विद्युत पावर का सब स्टेशन है । मोहनियां में स्थित रेलवे स्टेशन भभुआ रोड के नाम से जाना जाता है । मोहनियां अनुमण्डल मुख्यालय में कृषि उत्पादन बाजार समिति भी अवस्थित है ।बाजार समिति के प्रांगण में ही पुलिस लाईन अवस्थित है ।

(2) भवन

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां वर्ष 1991 से कार्य करना प्रारम्भ किया है ।पूर्व में अनुमण्डल कार्यालय सामुदायिक भवन में कार्यरत था । अब अनुमण्डल कार्यालय का अपना भवन तैयार हो चुका है अभी भी मुख्य भवन की उपरी मंजिल अधूरी है इसके निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग को पत्र विकास शाखा से भेजा जाय । लेकिन अभी भी मोहनियां अनुमण्डल का राजस्व शाखा सामुदायिक भवन में ही स्थित है । इन दोनों भवनों का निरीक्षण किया और पाया कि इनकी रंगाई पुताई की आवश्यकता है। इसकी नियमित रंगाई पोताई हेतु भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखें ।

(3) साफ सफाई

अनुमण्डल के विभिन्न कमरों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यालय की सफाई की गयी है सभी आलमीरा को दिवाल से सटाकर रखा गया है ।किसी कमरे में पाया गया कि बहुत सारी पुरानी संचिकायें एवं अभिलेखों को लाल कपडा में बांधकर रखा गया है । निदेश दिया गया कि पुराने अभिलेखों को अभिलेखागार में जमा कर दिया जाय एवं जो पुरानी संचिकायें है उसका वर्षवार/विभागवार वर्गीकरण कराकर उसकी सूची बना ली जाय तथा अलग अलग बण्डल बनाकर रखा जाय तथा जो आवश्यक कागजात नहीं है उसे बिहार अभिलेख हस्तक के नियम के आलोक में विनष्ट करने की कार्रवाई की जाय । अनुमण्डल कार्यालय के एक कमरे में बक्सा रखा हुआ पाया गया । इस संबंध में बताया गया कि से निर्वाचन के बक्से हैं । अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इन बक्सों को अलग किसी कमरे में रखवा दिया जाय अथवा निर्वाचन कार्यालय को वापस कर दिया जाय ।

(4) प्रभार

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, वि.प्र.से. दिनांक–27.05.2003 से अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां के पद पर पदस्थापित है । इसके पूर्व में पदस्थापित अनुमण्डल पदाधिकारियों की विवरणी अवधिवार निम्न प्रकार है:–

क्रमांक	अनुमण्डल पदाधिकारी का नाम	पदस्थापन की अवधि
1	श्री अनवर आलम मंजर,वि.प्र.से	22.12.91 से 27.02.92
2	श्री शमीम अहमद, वि.प्र.से	28.02.92 से 19.05.92

Scanned with OKEN Scanner

3	श्री अनवार आलम मंजर, वि.प्र.से.	20.05.92 से 18.08.92
4	श्री विवेक कुमार सिंह, वि.प्र.से.	19.08.92 से 02.10.92
5	श्री गौरीशंकर सिंह(प्रभारी) वि.प्र.से.	03.10.92 से 14.10.92
6	श्री रामेश्वर शर्मा (प्रभारी) वि.प्र.से.	15.10.92 से 30.11.92
7	श्री नागेन्द प्रसाद सिंह, वि.प्र.से.	01.12.92 से 04.06.94
8	श्री अहमद हुसैन, वि.प्र.से	04.06.94 से 03.03.97
9	श्री शिवभूषण ठाकुर (प्रभारी) वि.प्र.से.	04.03.97 से 04.03.97
10	श्री जयनारायण सिंह वि.प्र.से.	05.03.97 से 10.11.99
11	श्री सुदर्शन प्रसाद सिंह, वि.प्र.से.	10.11.99 से 16.05.2003
12	श्री प्रेम कुमार झा,(प्रभारी) वि.प्र.से.	17.05.03 से 26.05.2003

इसके अतिरिक्त कार्यपालक दण्डाधिकारी का दो पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध वर्तमान में मात्र एक कार्यपालक दण्डाधिकारी श्री पुरूषोत्तम ओझा दिनांक–30.01.2001 से पदस्थापित है । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मोहनियां का पद दिनांक–15.06.2002 से रिक्त है । जिला स्थापना शाखा कैमूर(भभुआ) को निदेश दिया गया कि मोहनियां अनुमण्डल में एक कार्यपालक दण्डाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु पत्र का प्रारूप अविलम्ब संचिका के माध्यम से प्रस्तुत करें।

(5) स्थापना

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वीकृत बल, पदस्थापन तथा रिक्ति की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थापन	रिक्ति
1	अनुमण्डल पदाधिकारी	1	1	ग
2	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार	1	ग	1
3	कार्यपालक दण्डाधिकारी	2	1	1
4	अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी	1	ग	1
4	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	1	ग	1
5	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	4	1	3
6	प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक	4	2	2
7	प्रधान सहायक	1	1	ग

Scanned with OKEN Scanner

8	सहायक	3	3	-
9	आशुलिपिक	2	-	2
10	टंकक	1	-	1
11	अनुसेवक	2	2	-
12	झाड़ूकश	1	1	-
13	चौकीदार	1	1	-

उपर्युक्त विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार का एक पद,कार्यपालक दण्डाधिकारी का एक पद,सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी का एक पद,प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का तीन पद,प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक का दो पद, आशुलिपिक का दो पद एवं टंकक का एक पद रिक्त है ।

जिला स्थापना शाखा कैमूर(भभुआ) को निदेश दिया जाता है कि रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु सरकार को भेजे जानेवाले पत्र का प्रारूप अविलम्ब संचिका में उपस्थापित किया जाय । इसके साथ ही अनुसचिवीय कर्मचारियों के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु प्रस्ताव स्थापना समिति में रखा जाय ।

इसके अतिरिक्त अनुमण्डल मोहनियां में पदस्थापित कर्मचारियों एवं अनुसेवकों का पूर्ण ब्योरा निम्न प्रकार है :–

कमांक	नाम	पदनाम	पदस्थापन की तिथि	गृह पता
1	श्री बैजनाथ प्रसाद	प्रधान सहायक	27.09.2003	ग्राम–घटकन,पो0 व जिला जहानाबाद
2	श्री जवाहर लाल सिंह	प्रधान सहायक राजस्व	15.07.1999	ग्राम–बाघ मझउआ (कोईलवर) भोजपुर
3	श्री बैजनाथ प्रसाद, दुर्गावती प्रखण्ड सेप्रतिनियुक्त	नाजिर	15.06.2002	ग्राम–चरितरवन (बक्सर)
4	श्री नन्दलाल प्रसाद	सहायक	10.05.2000	ग्राम–अकोढ़ीगोला, जिला रोहतास
5	श्री अजय कुमार सिंह	सहायक	14.06.2002	ग्राम–देवहलिया,रामगढ़ जिला कैमूर
6	श्री रामनरेश प्रसाद	अनुसेवक	01.07.2000	ग्राम व पो0–अखलासपुर जिला कैमूर
7	श्री हरिनाथ शर्मा	अनुसेवक	27.12.1996	ग्राम–नौहट्टा, रामपुर कैमूर

Scanned with OKEN Scanner

8	श्री कमल राम	अनुसेवक	10.12.2003	ग्राम–शिवपुर, मोहनियां कैमूर
9	मु0 लक्ष्मी कुंवर	अनुसेविका जिला नजारत	25.09.2002	ग्राम–मोहनियां कैमूर

उपरोक्त नियमित कर्मचारियों के अतिरिक्त अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमस0	प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम एवं पदनाम	मूल कार्यालय का नाम	प्रतिनियुक्ति की तिथि	स्थायी पता
1	श्री रामएकबाल सिंह सहायक	परियोजना कार्यालय मोहनियां	फरवरी 2001	ग्राम– चौथी,थाना–चैनपुर जिला कैमूर
2	मो0 शेर आलम, आशुटंकक	तथैव	1999	ग्राम–रामपुरभरेथा,थाना–काराकाट, जिला–रोहतास
3	श्री मनमोहन सिंह जनसेवक	परियोजना कार्यालय रामगढ़	1999	ग्राम–मैधा,थाना–विक्रमगंज जिला रोहतास
4	श्री कामेश्वर यादव, राजस्व कर्मचारी	अंचल रामगढ़	1999	ग्राम–लक्ष्मीटोला,थाना–दुल्हीनबाजार जिला–पटना
5	श्री जोखन प्रसाद, अनुसेवक	अंचल रामगढ़	2000	ग्राम–अखलासपुर जिला–कैमूर
6	श्री संग्राम पासवान, अनुसेवक	बाल विकास परि0 कार्यालय चांद	1998	ग्राम–मोहनियां, जिला–कैमूर
7	श्री देवमूरत प्रसाद, अनुसेवक	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल मोहनियां	1998	ग्राम–कुम्हउ, जिला–रोहतास
8	श्री शिवमूरत राम अनुसेवक	जिला कल्याण कैमूर	1993	ग्राम–सुखपुरवा, जिला–कैमूर
9	श्री अनिल कुमार अनुसेवक	अंचल रामगढ	1996	ग्राम–कुदरा, जिला कैमूर
10	श्री शंकर यादव, चालक	अंचल रामगढ़	1996	ग्राम–किसमनटांड,जिला–जमुई
11	श्री रामकेशी राम, अनुसेवक	जिला कल्याण	2004	ग्राम–डहरक, थाना–रामगढ़ जिला कैमूर
12	श्री द्वारिका राम, अनुसेवक	अंचल रामगढ़	1996	ग्राम–दुमदुमा, जिला कैमूर

उपरोक्त कर्मचारी/सहायक,अनुसेवकों की प्रतिनियुक्ति की समीक्षा करने की आवश्यकता है ।

Scanned with OKEN Scanner

(6) पूर्व निरीक्षण

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का पूर्व में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है:–

कमांक	निरीक्षी पदा0 का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	श्री चंचल कुमार, भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी कैमूर (भभुआ)	15.07.1997	26.07.1997	29.08.1997

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मोहनियां अनुमण्डल के सृजन के पश्चात मात्र एक पदाधिकारी श्री चंचल कुमार भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी कैमूर(भभुआ) के द्वारा किया गया है । निरीक्षण टिप्पणी संधारित करने के लिए रक्षी संचिका संधारित की गयी है एवं अनुपालन प्रतिवेदन भी भेज दिया गया है । वर्ष 1997 के बाद किसी भी पदाधिकारी द्वारा इस अनुमण्डल का निरीक्षण नहीं किया जा सका है । कार्यालय अधीक्षक द्वारा भी निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार कार्यालय अधीक्षक को जिला पदाधिकारी के निरीक्षण के पहले कार्यालय का निरीक्षण किया जाना चाहिए जो उनके द्वारा नहीं किया गया है । कार्यालय अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि जब कभी भी वरीय पदाधिकारी द्वारा किसी कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो उससे पहले वे स्वयं भी संबंधित कार्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करें ।

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना अनिवार्य है जिसे नहीं किया गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगें ।

(7) पत्राचार

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खण्ड (प) एवं (पप) के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पंजी (मुख्य एवं साधारण) अलग अलग संधारित है जिसे पंचांग वर्ष के प्रारम्भ से ही आरम्भ किया जाता है । विगत तीन वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति विभागवार निम्नप्रकार है :–

(क)सामान्य शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	1453	1453	–	366	366
2	2002	–	937	937	–	341	341
3	2003	–	794	794	–	401	401
4	2004	–	301	301	–	123	123

Scanned with OKEN Scanner

(ख) राजस्व शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	195	195	–	272	272
2	2002	–	145	145	–	267	267
3	2003	–	236	236	–	215	215
4	2004	–	109	109	–	115	115

(ग) आपूर्ति शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	–	–	–	327	327
2	2002	–	–	–	–	286	286
3	2003	–	–	–	–	222	222
4	2004	–	–	–	–	46	46

(घ) निर्वाचन शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	–	–	–	238	238
2	2002	–	–	–	–	215	215
3	2003	–	–	–	–	253	253
4	2004	–	–	–	–	72	72

Scanned with OKEN Scanner

(च) गोपनीय शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	1453	1453	–	366	366
2	2002	–	937	937	–	341	341
3	2003	–	794	794	–	401	401
4	2004	–	301	301	–	123	123

(छ) विकास शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	–	–	–	238	238
2	2002	–	–	–	–	119	119
3	2003	–	–	–	–	62	62
4	2004	–	–	–	–	27	27

(ज) स्थापना शाखा

क्र 0	वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या			निर्गत पत्रों की संख्या		
		मुख्य	साधारण	योग	मुख्य	साधारण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2001	–	–	–	–	147	147
2	2002	–	–	–	–	121	121
3	2003	–	–	–	–	132	132
4	2004	–	–	–	–	44	44

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त विवरणी दिनांक–28.02.2004 तक की है जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सामान्य एवं राजस्व शाखा में प्राप्त पत्रों की पंजी संधारित की गयी है लेकिन उसके सभी स्तम्भ भरे नहीं गये है । निदेश दिया गया कि प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी के सभी कॉलम भरे जांय । अन्य किसी भी शाखा में प्राप्त पत्रों की पंजी नहीं संधारित की गयी है । इस प्रकिया पर आश्चर्य प्रकट करते हुए बताया गया कि जब पत्र निर्गत किये जाते है तो पत्र अवश्य ही प्राप्त होते होगें । प्राप्त पत्रों को पंजीबद्ध नही करना एक दण्डनीय अपराध है । अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां संबंधित शाखा के सहायक एवं प्रधान सहायक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ भेजेंगें ।

कार्यालय में संधारित किये गये विभिन्न संचिकाओं का अवलोकन किया गया तो यह बात सामने आई कि संचिका में टिप्पणी पृष्ट संख्या अंकित नहीं किया गया है साथ ही साथ पत्राचार भाग पर भी कमांक नहीं दिया गया है । इस प्रकार की कार्रवाई से संचिका के किसी भी पत्र को इधर से उधर किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नियमानुसार संचिकाओं का संधारण सुनिश्चित किया जाय ।

(8) <u>अनुक्रमणी पंजी (पंजी–62)</u>

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 12 के अनुसार वर्णाक्षर कम में संबंधित विषयों पर अनुक्रमणी पंजी संधारित किया जाना है । यह पंजी संधारित तो की गयी है लेकिन निर्गत पत्रों के संबंध में पूर्ण विवरणी मुख्य पृष्ट अथवा टिप्पणी पृष्ट पर अंकित नहीं की जा रही है जो आवश्यक है । प्रधान सहायक को निदेश दिया गया कि संबंधित संचिका के द्वारा निर्गत पत्रों की विवरणी संचिका के मुख्य पृष्ट के साथ साथ टिप्पणी पृष्ट पर भी अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय ।

(9) <u>अनुमण्डलीय नजारत प्रशाखा</u>

1– <u>परिचय</u>

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का नजारत शाखा अनुमण्डल कार्यालय के मुख्य भवन के उपरी मंजिल के एक कमरा में स्थित है । नाजिर के रूप में श्री बैजनाथ प्रसाद दिनांक–15.06.2002 से प्रखण्ड कार्यालय दुर्गावती से प्रतिनियुक्त है । चूंकि आज का निरीक्षण पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है इसलिए अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का नजारत शाखा में सभी आवश्यक पंजियां एवं कागजात व्यवस्थित ढ़ंग से रखे गये है ।

Scanned with OKEN Scanner

2– रोकड बही

अनुभण्डल कार्यालय मोहनियां के नजारत शाखा में कुल 13 सहायक रोकड बही एवं एक सामान्य रोकड बही संधारित किया गया है । इसके अतिरिक्त कन्टिजेन्ट पंजी, कन्टिजेन्ट आवंटन पंजी,स्टाक पंजी संधारित है । सामान्य रोकड पंजी के अवलोकनोपरान्त दिनांक–04.03.2004को 36,77,247–76(छतीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सैतालिस रूपये छिहत्तर) पैसे की राशि अवशेष पाई गयी है जिसकी शीर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है :–

कम संख्या	शीर्ष	राशि
1.	2053 जिला एवं प्रशासन	26,130–72
2.	2029 भू राजस्व	53,002–95
3	2515 सा0वि0 कार्यकम (पं0)	01,535–00
4	2015 निर्वाचन (विधान सभा)	13,43,238–10
5	विविध	11,31,283–64
6	समेकित ग्रा0वि0कार्यकम सम्पूर्ण ग्रा0वि0 कार्यकम	04,067–43
7	2235 सामाजिक सुरक्षा	01,66,797–85
8	जिला परिषद	02,27,448–75
9	बैंक से प्राप्त सूद	00,34,838–82
10.	योजना	00,41,950–55
11	3456 नागरिक पूर्ति	00,03,349–40
12	2015 निर्वाचन (लोकसभा)	06,78,408–55
13	पेंशन	————————
	कुलः–	36,77,247–76

(कुल छत्तीस लाख सतहतर हजार दो सौ सैतालिस रूपया छिहत्तर पैसा मात्र)

उपरोक्त राशि का वर्गीकरण निम्नप्रकार है :–

कम संख्या	मद	राशि
1.	सामान्य अग्रिम	01,21,364–75
2	लोक सभा मद में अग्रिम	02,86,415–00
3	विधान सभा मद में अग्रिम	10,95,675–00

Scanned with OKEN Scanner

4	अभिश्रव	21,15,377–97
	नगद	00,58,415–04
	कुलः–	36,77,247–76

कुल छतीस लाख सतहतर हजार दो सौ सैतालिस रूपया छिहतर पैसा मात्र ।

उपरोक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न मदों में बहुत बडी राशि दिखाई जा रही है । विविध मद में 11,31,283–64 रूपये की राशि बताई गयी है जिसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है । निदेश दिया गया कि विविध नाम से कोई शीर्ष नहीं रखा जाय । जिस शीर्ष में जो राशि है उस राशि को उसी शीर्ष में रखा जाय । अन्य स्थिति के बारे में अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां द्वारा बताया गया कि मोहनियां अनुमण्डल में मात्र एक ही शीर्ष 2029 भूराजस्व का सृजन सरकार द्वारा किया गया है । इस शीर्ष में आकस्मिकता मद में पर्याप्त आवंटन उपलब्ध नहीं हो पाता है । जी.टी. रोड एवं रेल हेड पर अवस्थित होने के कारण विधि व्यवस्था, माननीय मंत्रीगण एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के समय सौजन्य प्रदर्शित करने एवं स्कोर्ट आदि पर बहुत अधिक राशि खर्च होती है जिसका समायोजन आवंटन के अभाव में नहीं हो पाता है । इसी कारणवश राशि का विचलन करना विवशता हो जाती है । यदि विचलन की कार्रवाई बन्द कर दी जाय तो विधि व्यवस्था को नियंत्रित करना मुश्किल हो जायेगा । इसके साथ ही अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां द्वारा यह सुझाव दिया गया कि यदि इस अनुमण्डल के अन्तर्गत 2053 जिला प्रशासन का मद कायम करा दिया जाय तो आकस्मिकता मद में पर्याप्त आवंटन प्राप्त होता और विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने में कोई परेशानी नहीं होती है । जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में सरकार को आवंटन उपलब्ध कराने एवं 2053 जिला प्रशासन मद कायम करने हेतु पत्र लिखने का निदेश जिला स्थापना शाखा को दिया गया।

शीर्ष 2053 जिला प्रशासन के अन्दर 26,130–72 रूपये की राशि के बारे में पूछे जाने पर नाजिर श्री बैजनाथ प्रसाद के द्वारा बताया गया कि श्री मंजुर आलम,सेवा निवृत्त सहायक का वेतन–4999–00रूपया है निदेश दिया गया कि संबंधित सहायक को भुगतान कर दिया जाय,वर्दी की राशि 19322–00 रूपया विपत्र संख्या–202/95–96,185/96–97,27/93–94 से निकाल कर अभी तक रखा गया है । राशि की निकासी कर उसका इस्तेमाल नहीं करना सोचनीय विषय है ।निदेश दिया गया कि यह राशि अविलम्ब संबंधित हेड में कोषागार में जमा करने अथवा भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

विपत्र संख्या–181/99–2000 से दूरभाष के भुगतान हेतु 151–00 रूपया रखा गया है । निदेश दिया गया कि राशि की निकासी कर अपने पास रखना नियम विरूद्ध है । इस राशि को या तो भुगतान कर दिया जाय अथवा कोषागार में जमा कर दिया जाय ।

आकस्मिकता मैट्रिक हेतु 1241–76 रूपये बौधिक अनुदान की राशि400–00 रूपये की निकासी करके रखा गया है । इस राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करना गम्भीर बात है । निदेश दिया गया कि अविलम्ब संबंधित को भुगतान किया जाय अथवा कोषागार में जमा कर दिया जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

इसके अतिरिक्त कन्टीजेन्सी में 17–56 रूपया रखा गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह विचलन की राशि है । इस कार्यालय में चल
रहे सभी बैंक खातों को बन्द करा दिया गया है एक भी खाता नहीं है । योजनाओं के लिए जिला से जो भी चेक मिलता है वह वियरर चेक मिलता है।

इसी प्रकार 2029 भूराजस्व से संबंधित 53,002–95 रूपये के बारे में बताया गया कि

दूरभाष –	54–00 रूपया,
कार्यालय व्यय का –	95–95 रूपया,
धान की नीलामी से प्राप्त राशि –	51,505–00 रूपया
वर्दी मद की राशि –	1348–00 रूपया
कुल	53,002–95 रूपया

उपरोक्त राशि विचलन में खर्च की जा चुकी है ।

निर्वाचन मद में रखे गये 13,43,238–10 पैसा के बारे में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट किया गया :–

विपत्र संख्या–43/94–95 द्वारा प्रगणकों का भुगतान का अवशेष–	13,808–80 पैसा,
विपत्र संख्या–44/94–95 विविध रूप में	32–80,
विपत्र संख्या–85/03–04 से फोटो कॉपी एवं फोटो पहचान पत्र हेतु	8917–70,
विपत्र संख्या–100/03–04 मतदाता सूची का फोटो कापी एवं कार्यालय व्यय–	3893–40
एन.आर. सं0–82373 से दिनांक–6.10.03 को मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण एवं मुद्रण हेतु–	5000–00
चेक सं0–229778 से दिनांक–26.6.98 को भारतीय स्टेट बैंक भभुआ में भुगतेय विधान सभा 1995 का आकस्मिकता मद में –	2,15,354–80
वर्ष 1995 में अभ्यर्थी की जमानत की राशि–	10,000–00
वर्ष 1995 में हैन्ड बुक की बिकी से प्राप्त राशि–	374–00
वर्ष 2000 में अभ्यर्थी की जमानत की राशि –	75,000–00
वर्ष 2000 में जगजीवन मैदान में आम सभा का शुल्क–	14,100–00
विधान सभा निर्वाचन 1995 का यात्रा भत्ता का अवशेष–	6,83,962–57
विधान सभा निर्वाचन 2000 का आकस्मिकता मद में –	1,16,693–94
विपत्र संख्या–141/99–2000 गश्ती दल का यात्रा भत्ता–	1,50,000–00
चेक संख्या–236660 से –	2000–00
चेक संख्या–236649 से –	30000–00

Scanned with OKEN Scanner

एन.आर. सं0–823163 से दिनांक–9.7.2003 को बिहार विधार परिषद स्थानीय चुनाव हेतु यात्रा भत्ता भुगतान के लिए – 8000–00

एन.आर. सं0–823179 से दिनांक–24.11.2003 को बिहार विधार परिषद स्थानीय चुनाव हेतु आकस्मिकता मद में – 6100–00

कुल राशि – 13,43,238–10

(तेरह लाख तेतालिस हजार दो सौ अडतीस रूपया दस पैसा मात्र)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम(पं0) मद में रखी गयी 1535–00 रूपये की राशि के बारे में अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि यह राशि नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामले के निष्पादन से प्राप्त हुई है ।

विविध मद में रखी गयी 11,31,283–64 रूपये की राशि पर आपत्ति प्रकट करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि विविध मद कायम नहीं किया जाय । जिस एजेन्सी से राशि प्राप्त होती है उसका विवरण दर्ज करते हुए राशि दर्शाया जाय । किसी भी परिस्थिति में विविध नहीं रहना चाहिए । निदेश दिया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

सामाजिक सुरक्षा मद में 1,66,797–85 रूपये अनुदान की राशि रखी गयी है । निदेश दिया गया कि अद्यतन माह तक अनुदान का वितरण सुनिश्चित किया जाय तथा जो राशि अवशेष रह जाती है उसको वित्तीय वर्ष के अन्त में कोषागार में जमा कर दिया जाय ।

जिला परिषद से संबंधित 2,27,448–75 रूपये की राशि के बारे में निदेश दिया गया कि वर्ष 1992 से लेकर वर्तमान समय तक कितनी राशि प्राप्त हुई है उसका विवरण तैयार किया जाय । इसी प्रकार बैंक से प्राप्त सूद,योजना,3456 नागरिक पूर्ति के संबंध में भी निदेश दिया गया कि वर्षवार प्राप्त आवंटन एवं किये गये व्यय का ब्योरा उपलब्ध कराया जाय ।

उपरोक्त समीक्षा के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- निर्वाचन कार्य के दौरान दिये गये अग्रिम के समायोजन हेतु तत्काल कार्रवाई प्रारम्भ किया जाय । इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी संबंधित को सूचना दे दी जाय ताकि वे अपना अभिश्रव आदि प्रस्तुत कर सके।
- सामान्य मद में अग्रिम के रूप में 1,21,364–75 पैसा पडा हुआ है । यह अग्रिम किस एजेन्सी को दिया गया है उससे भाउचर मंगाकर समायोजित कर लिया जाय अथवा यदि भाउचर जमा नहीं करते हैं तो उनसे राशि वसूलने की कार्रवाई की जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

- लोकसभा निर्वाचन मद में 2,86,415–00 रूपये अग्रिम के रूप में दिखाया जा रहा है । इस अग्रिम से संबधित व्यक्तियों को नोटिस निर्गत किया जाय । यदि अग्रिम लेने वाला सरकारी कर्मचारी हो तो उसके नियंत्री पदाधिकारी को पत्र लिखा जाय । इस राशि के समायोजन की प्रकिया एक महीना के अन्दर पूरा कर लिया जाय ।
- इसी प्रकार विधान सभा निर्वाचन मद में अग्रिम के रूप में 10,95,675–00 रूपया पड़ा हुआ है । निदेश दिया गया इस राशि के समायोजन हेतु सभी संबंधित को सूचित किया जाय ताकि अग्रिम की राशि को समायोजित किया जा सके ।
- अभिश्रव के रूप में 21,15,377–97 रूपया पड़ा हुआ है । निदेश दिया गया कि दिये गये अग्रिम का वर्षवार,शीर्षवार वर्गीकृत कर प्रतिवेदन दें ताकि जिला स्तर पर सरकार से आवंटन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जा सके ।

अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा विधि व्यवस्था,परीक्षा एवं गणमान्य व्यक्तियों के दौरा के समय स्कोर्ट के लिए इंधन की आपूर्ति एवं गणमान्य व्यक्तियों को सौजन्य प्रकट करने पर होनेवाले खर्च का विवरण देते हुए बताया गया कि अनुमण्डल के पुर्नगठन के बाद विगत 13 वर्षो में 21,15,377–97 पैसा खर्च हुआ है लेकिन पर्याप्त आवंटन प्राप्त नहीं हो पाने के कारण विचलन हेतु बाध्य होना पड़ता है । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि वर्ष 1991 से लेकर अद्यतन समय तक वर्षवार विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन एवं किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाय ताकि यह आंकलन हो सके कि वर्षवार कितना आवंटन प्राप्त हुआ एवं उसके विरूद्ध कितना खर्च किया गया । यह स्वभाविक है कि आवश्यकता के अनुरूप आवंटन नहीं मिलने से बिचलन की स्थिति उत्पन्न होती है । इसलिए दोनों अनुमण्डलों के लिए पांच पांच लाख रूपया आवंटन हेतु पत्र लिखा जाय ।

इसके अतिरिक्त निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां निम्नांकित सूचना 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध करायेगें –

- 1992 से लेकर अद्यतन समय तक विभिन्न वर्ष में प्राप्त वर्षवार,मदवार आवंटन का पत्र संख्या एवं राशि।
- प्रत्येक वर्ष में कितना खर्च हुआ? इंधन,वाहन मरम्मति,कार्यालय व्यय,दूरभाष,बिजली इत्यादि पर।
- 21,15,377/–रूपया अभिश्रव के रूप में लम्बित है उसकी विवरणी वर्षवार एवं विषयवार,वर्गीकृत करके उसका एक समेकित प्रतिवेदन समर्पित किया जाय ।
- यह अनुमण्डल 2029 के अन्तर्गत सृजित हुआ है । इस मद में पर्याप्त आवंटन नहीं आने के फलस्वरूप कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के वेतन में कठिनाई होती है । साथ ही आकस्मिकता मद में भी विधि व्यवस्था संधारण के लिए जो राशि व्यय होती है वह 2053 सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होती है । इसलिए इस अनुमण्डल में 2053 हेड कायम करने हेतु सचिव राजस्व पर्षद एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पटना को पत्र लिखा जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

(10) आकस्मिकता पंजी

आकस्मिकता पंजी का अवलोकन किया गया और पाया गया कि नाजिर श्री बैजनाथ प्रसाद द्वारा इस पंजी का संधारण विहित प्रकिया के अनुसार किया गया है । इसके साथ ही यह निदेश दिया गया कि वित्त विभाग एवं महालेखाकार को पत्र लिखकर ऑडिट करा लिया जाय ।

(11) एन.आर.पंजी

एन.आर.पंजी का अवलोकन किया । यह पंजी निर्धारित प्रकिया के अनुरूप संधारित की गयी है।

(12) भण्डार पंजी

भण्डार पंजी का अवलोकन किया गया और पाया गया यह पंजी संधारित की गयी है जिसमें सभी सामानों की सूची दर्ज है । निदेश दिया गया कि स्थायी एवं अस्थायी सामग्रियों की पंजी अलग अलग संधारित कीजाय। इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि प्रत्येक 6 महीना पर पंजी के अनुसार सभी स्टॉक का सत्यापन करना है जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। आदेश दिया गया कि नियमानुसार प्रत्येक 6 माह के अन्तराल पर भण्डार पंजी का सत्यापन सुनिश्चित किया जाय ।

कार्यालय एवं अनुमण्डल पदाधिकारी के आवास में सरकारी सामान क्या क्या है उसका भंडार पंजी तीन प्रतियों में बनाकर एक प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में एक प्रति अनुमण्डल नजारत में एवं एक प्रति जिला नजारत में भेज दें। रोकड़ बही को फार्म टी.सी.सी.6 में संधारित किये जाने की आवश्यकता बताई गयी और अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि रोकड पंजी के संधारण एवं उसकी जांच बहुत सावधानी से की जानी चाहिए । इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा यह निदेश दिया गया कि बैंक में एक चालू खाता रखना अनिवार्य है ताकि प्राप्त होनेवाली आवश्यक राशि को उस खाते में रखा जा सके। आप अवगत है कि सिंगल लॉक में 5000/–रूपया और इससे अधिक की राशि को डबल लॉक में रखने का प्रावधान है । आपके द्वारा 58000/–रूपये की राशि सिंगल लॉक में रखी गयी है, जो उचित नहीं है ।

(13) अनुमण्डलीय विधि प्रशाखा

(क) परिचय

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का विधि शाखा अनुमण्डल कार्यालय के एक कमरा में अवस्थित है। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी के लिए अलग अलग न्यायालय कक्ष है । अनुमण्डल पदाधिकारी के पेशकार के रूप में श्री कामेश्वर यादव,राजस्व कर्मचारी रामगढ़ अंचल प्रतिनियुक्त अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां तथा कार्यपालक दण्डाधिकारी मोहनियां के पेशकार के रूप में श्री मदन मोहन सिंह जनसेवक परियोजना कार्यपालक दण्डाधिकारी रामगढ़ प्रतिनियुक्त अनुमण्डल कार्यालय

Scanned with OKEN Scanner

मोहनियां कार्यरत है । संबंधित पेशकारों को निदेश दिया गया कि निष्पादित किये गये अभिलेखों को अलग अलग विषयवार,वर्षवार एवं विभागवार वर्गीकृत करने के पश्चात सूची बनाकर अभिलेखागार में जमा करना सुनिश्चित करें ।

(ख) विधि शाखा में न्यायालयवार निम्न पंजिया संधारित की गयी है :–

1– एम.आर. रजिस्टर 2 पंजी–1
2– थाना प्रभारी से प्राप्त अप्राथमिकी पंजी
3– कोर्ट डायरी
4– कोर्ट स्टाम्प पंजी
5– विविध पंजी

अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां के न्यायालय में चल रहे वादों की अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार है :–

कमांक	धारा	पूर्व वर्ष के लम्बित वादों की संख्या	वर्तमान वर्षमें दायर वाद 14.2.4तक	कुल वाद	वर्तमान वर्ष में निष्पादित वादों कीसं0	लम्बित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	107दं.प्र.सं.	338	33	371	30	341	
2	109 दं.प्र.सं.	07	00	07	00	07	
3	144द.प्र.सं.	03	19	22	07	15	
4	145दं.प्र.सं.	16	05	21	04	17	
5	146दं.प्र.सं.	––	––	––	––	––	
6	147दं.प्र.सं.	13	––	13	––	13	
7	188भा.द.वि.	03	05	08	––	08	
8	133दं.प्र.सं.	02	––	02	––	02	

Scanned with OKEN Scanner

(ग) कार्यपालक दण्डाधिकारी के न्यायालय के वादों की अद्यतन स्थिति :–

कमांक	धारा	पूर्व वर्ष के लम्बित वादों की संख्या	वर्तमान वर्षमें दायर वाद 14.2.4तक	कुल वाद	वर्तमान वर्ष में निष्पादित वादों कीसं0	लम्बित वादों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	107दं.प्र.सं.	167	55	222	20	202	
2	145दं.प्र.सं.	56	––	56	––	56	
3	147द.प्र.सं.	20	––	20	––	20	

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी भमुआ एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी मोहनियां के न्यायालय में धारा 107 दं.प्र.सं. के बहुत अधिक मामले लम्बित है जो पूर्व से ही लम्बित चले आ रहे है । इसके अतिरिक्त अन्य धाराओं में भी मामले लम्बित है । निदेश दिया गया कि इन लम्बित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय । अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत वर्ष में लगभग धारा 107 के लगभग 900 मामले लम्बित थे जिसका निष्पादन उपके द्वारा किया गया है । निदेश दिया गया कि विगत तीन वर्षों की विवरण तैयार कर उपलब्ध कराई जाय जिसमें यह अंकित होना चाहिए कि वर्षवार कितने मामले दर्ज किये गये तथा कितने मामलों का निष्पादन किया गया ।

वारंट का तामिला के बारे में पूछे जाने पर अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां द्वारा बताया गया कि निर्गत किये गये वारंटों के तामिला में संबंधित थाना द्वारा आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है । जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि निर्गत किये गये वारंटों की विवरणी थानावार बनाकर उपलब्ध करावें ताकि आरक्षी अधीक्षक को थाना प्रभारियों के विरूद्ध कार्रवाई हेतु लिखा जा सके ।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ऐसा देखा जा रहा है कि किसी मामले में आदेश प्रिन्टेड फार्म में पारित किया जाता है । इस प्रकार की प्रकिया उचित नहीं है । अन्तिम आदेश स्वहस्तलिपि में होना चाहिए ।

धारा 107 की कार्रवाई समाप्त/प्रारम्भ करने में पर्याप्त ग्राउन्ड देना आवश्यक है ।

कोर्ट डायरी की प्रति बार एसोसिएसन को अवश्य दी जाय ।

नोटिस का तामिला किसके द्वारा कराया जाता है? अनुमण्डल पदाधिकारी ने बताया कि चौकीदारो द्वारा तामिला कराया जाता है ।

Scanned with OKEN Scanner

(14)

अनुमण्डलीय निर्वाचन शाखा

अनुमण्डल कार्यालय के नजारत शाखा में इस समय क्या हो रहा है । बताया गया कि इलेक्ट्रोनिक मोटिंग मशीन का प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं पहचान पत्र बनाये जाने का कार्य चल रहा है । प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी के बारे में पूछे जाने पर बताया गया कि निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है लेकिन प्राप्त पत्रों की पंजी संधारित नहीं है । प्राप्त पत्रों की पंजी पूरे अनुमण्डल का एक ही स्थान सामान्य शाखा में संधारित किया जाता है । इस प्रकिया से असंतुष्ट होकर जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि सभी शाखाओं में अलग अलग प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित होना चाहिए । निदेश दिया गया कि सभी शाखाओं के लिए अलग अलग प्राप्त एवं निर्गत पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाय ।

(15)

अनुमण्डलीय आपूर्ति शाखा

(क) परिचय

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का आपूर्ति शाखा अनुमण्डल कार्यालय के मुख्य भवन के उपरी मंजिल पर अवस्थित है। इस अनुमण्डल में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्वयं ही आपूर्ति संबंधी कार्यो का सम्पादन किया जाता है । निदेश दिया गया कि सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु पत्राचार किया जाय ।

(ख) जन वितरण प्रणाली के दूकानो के संबंध में :–

मोहनियां अनुमण्डल के अन्तर्गत जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारियों की कुल संख्या 268 है। कोटिवार एवं प्रखण्डवार दूकानों की स्थिति की विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	ज.वि.प्रणाली के तहत दूकानों की विवरणी	मोहनियां	दुर्गावती	कुदरा	रामगढ़	नुआंव	कुलयोग
1	आवश्यकतानुसार ज.वि.प्र.दूकानों की सं0	70	45	52	44	34	245
2	अनुज्ञप्तिधारी ज.वि.प्र.विक्रेताओं की संख्या	79	44	53	49	43	268
3	अनु0जाति के ज.वि.प्र.विक्रेताओं की संख्या	24	21	22	08	07	82
4	अल्पसंख्यक ज.वि.प्र.विक्रेताओं की संख्या	04	03	03	06	03	19
5	महिला ज.वि.प्र.विक्रेताओं की संख्या	02	01	02	03	04	12

Scanned with OKEN Scanner

6	अन्य वर्ग के ज.वि.प्र.विकेताओं की संख्या	20	03	09	12	04	48
7	सहकारिता	01	गग	01	—	गग	02
8	पिछड़ा वर्गज.वि.प्र.विकेताओं की संख्या	28	16	16	20	25	105
9	निलम्बित ज.वि.प्र.विकेताओं की संख्या	01	गग	गग	01	गग	02
10	कार्यरत ज.वि.प्र.विकेताओं की संख्या	78	44	53	48	43	266

इसके अतिरिक्त इस अनुमण्डल में अनुज्ञप्ति नवीनीकरण पंजी संधारित की गयी है । अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनिया द्वारा जन वितरण प्रणाली के दूकानों का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन संधारित किया गया है ।जिसके अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि प्रखण्डवार किये गये निरीक्षण की निरीक्षण टिप्पणी अलग अलग संधारित की गयी है । खुदरा विकेताओं की भी पंजी संधारित की गयी है। निदेश दिया गया कि प्रखण्डवार एक सूची बनाकर पूर्ण विवरण सहित(स्थल का नाम एवं पूरा पता) उपलब्ध कराया जाय इसके अतिरिक्त निम्नांकित निदेश दिये गये :'

→ सभी जन वितरण प्रणाली की दूकानों पर एक बोर्ड लगा दिया जाय जिसमें उपलब्ध सभी सामग्रियों की पूर्ण विवरणी, दूकान खुलने एवं बन्द करने का समय,दूकानदार का नाम,अनुज्ञप्ति संख्या इत्यादि का पूर्ण विवरण दर्ज रहेगा ।

(ग) <u>इस अनुमण्डल का प्रखण्डवार आपूर्ति से संबंधित समेकित आंकडों की विवरणी</u>

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार इस अनुमण्डल का कुल जनसंख्या–6,13,188

कुल पंचायतों की संख्या –	71
कुल परिवारों की संख्या–	1,07,319,
बी.पी.एल. परिवारों की संख्या–	26,241,
अन्त्योदय परिवारों की संख्या–	7,099,
अन्नपूर्णा योजना से लाभान्वितों की संख्या–	1079,
जन वितरण प्रणाली दूकानों की संख्या–	268,
ठेला भेण्डरों की संख्या–	08
प्रतिमाह किरासन तेल का आवंटन –	4,98,390 लीटर
बी.पी.एल. योजना के अन्तर्गत गेंहूं एवं चावल का आवंटन कमशः–	5510.61 एवं 3673.74 क्वीटल होता है
तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत गेंहूं एवं चावल कमशः	1490.79 क्वी0 एवं 993.86 क्वी0 प्रतिमाह इ
इसके अलावे अन्नपूर्णा योजना के तहत् गेंहूं	64.74 क्वी0 एवं चावल 43.16 क्वी0 प्रतिमाह
बी.पी.एल. खाद्यान्न वितरण का गेंहूं एवं चावल का दर कमशः–	485 रूपये एवं 635 रूपये प्रति क्वी0,

Scanned with OKEN Scanner

अन्त्योदय खाद्यान्न वितरण का दर प्रति किलो — 02.00 रूपया प्रति किलो गेंहू एवं 03.00 रूपया प्रति किलो चावल

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण — मुफ्त में किया जाता है ।

(घ) इसके अतिरिक्त आपूर्ति से संबंधित प्रखण्डवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

कमांक	प्रखण्ड का नाम	वर्ष1991 की जनसंख्या	पंचायतों की संख्या	कुल परिवारों की सं0	बी.पी.एल. परिवारों की सं0	अत्योदय परिवार की सं0	अन्नपूर्णा लाभुकों की सं0	ज.वि. प्र.के अनुज्ञप्ति की सं0	कुल भंडारों की संख्या	किरासन तेल का मासिक आवंटन ली0 में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मोहनियां	131901	20	31475	8058	2125	358	79	01	145670
2	दुर्गावती	84509	13	17526	3133	1331	193	44	01	80450
3	कुदरा	97545	15	21654	6203	1484	206	53	06	107010
4	रामगढ़	82694	13	20409	4496	1240	227	49	---	92070
5	नुआंव	63120	10	16255	4351	919	95	43	---	73190
	कुल	459769	71	107319	26241	7099	1079	268	08	498390

(च) <u>किरासन तेल संबंधी विवरणी</u>

मोहनियां अनुमण्डल में दो थोक किरासन तेल विकेता है (1) मेसर्स भारत ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर मोहनियां एवं (2) मेसर्स कामता ऑयल एजेन्सी रामगढ़ । इसमें से मेसर्स भारत ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर मोहनियां को 1,44,440 लीटर प्रतिमाह एवं मेसर्स कामता ऑयल एजेन्सी रामगढ़ को 3,53,950 लीटर प्रतिमाह किरासन तेल का आवंटन प्राप्त है । प्रखण्डवार किरासन तेल के वितरण की स्थिति निम्नप्रकार है:-

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	कुल परिवार	संस्थान / छात्र	कुल आवंटन	मे0 भारतआयॅल डिस्ट्रीब्यूटर मोहनियां	मे0 कामता ऑयल एजेन्सी रामगढ
1	मोहनियां	31475	अनु0सुरक्षित 1500 लीटर	145670 ली0	46889 ली0	98781 ली0
2	दुर्गावती	17526		80450 ली0	50201 ली0	30249 ली0
3	कुदरा	21654		107010 ली0	47350 ली0	59660 ली0
4	रामगढ़	20409		92070 ली0	——	92070 ली0
5	नुआंव	16255		73190 ली0		73190 ली0

(छ) किरासन तेल का थोक एवं खुदरा बिक्री दर जो जिला स्तर से निर्धारित किया गया है निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	थोक किरासन तेल विक्रेता	निर्धारित थोक दर प्रति लीटर	खुदरा बिक्री दर प्रति ली0
1	मे0भारत ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर्स मोहनियां	09.52रू0 (टी.ओ.टी. सहित)	09.61 रूपये
2	मे0 कामता ऑयल एजेन्सी रामगढ़	09.52 रू0 (टी.ओ.टी.सहित)	09.61 रूपये

निदेश दिया गया कि उचित मूल्य पर किरासन तेल का नियमित वितरण जरूरतमन्द लोगों के बीच सुनिश्चित किया जाय और समय समय पर इसकी जांच करते हुए वितरण कार्य की समीक्षा की जाय

(ज) आवश्यक सामग्रियों के उठाव संबंधी विवरणी

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां में आवश्यक सामग्रियों के उठाव संबंधी प्रखण्डवार विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	योजना का नाम	प्रखण्ड का नाम	उठाव क्वींटल में		वितरण क्वींटल में	
			गेंहूं	चावल	गेंहूं	चावल
1	अन्नपूर्णा	मोहनियां	64.44	42.96	27.90	18.60
		दुर्गावती	34.74	23.16	44.52	29.68
		कुदरा	37.08	24.72	21.78	14.52
		रामगढ़	40.86	27.24	41.04	27.36
		नुआंव	17.10	11.40	16.56	11.04

Scanned with OKEN Scanner

कुल						
2	अन्त्योदय	मोहनियां	194.22	129.48	151.80	101.20
		दुर्गावती	446.25	297.50	423.15	282.10
		कुदरा	279.51	186.34	269.76	179.84
		रामगढ़	311.64	207.76	205.59	137.06
		नुआंव	260.40	175.60	255.78	170.52
कुल			192.99	128.66	195.09	130.06
			1490.79	993.86	1349.37	899.58

उपर्युक्त विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अन्नपूर्णा एवं अंत्योदय योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का जो उठाव किया गया है उसमें से अभी बहुत अधिक मात्रा में खाद्यान्न वितरण हेतु अवशेष पड़ा हुआ है । निदेश दिया गया कि यह अत्यन्त गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना है । सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक जरूरतमन्द लोगों को इस योजना का लाभ मिले । इसलिए इसका सर्वेक्षण कराकर जरूरतमन्द लोगों के बीच नियमित रूप से खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाय ।

मोहनियां अनुमण्डल धान एवं गेंहूं का उत्पादक क्षेत्र होने के कारण बी.पी.एल. योजना के खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है ।

(16)

सामान्य शाखा

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का सामान्य शाखा अनुमण्डल कार्यालय के मुख्य भवन के निचली मंजिल पर अवस्थित है । इस शाखा के प्रधान सहायक श्री बैजनाथ प्रसाद है । इस शाखा का निरीक्षण किया गया और पाया गया कि सभी आवश्यक कागजात व्यवस्थित ढ़ंग से रखे गये है । इस शाखा में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी अलग अलग संधारित की गयी है । प्राप्त पत्रों की पंजी का अवलोकन किया गया । लम्बित पत्रों को लाल स्याही से अंकित किया जाना चाहिए जो नहीं किया गया है ।निदेश दिया गया कि लम्बित पत्रों को लाल स्याही से अंकित किया जाय । प्राप्त पत्रों की पंजी में कुल 450 पत्र दर्ज किये गये है । सामान्य शाखा में कर्मचारियों के पदस्थापन की स्थिति निम्न प्रकार है:–

1. श्री बैजनाथ प्रसाद, प्रधान सहायक
2. श्री जवाहर लाल सिंह,प्रधान सहायक
3. श्री बैजनाथ प्रसाद,नाजिर
4. श्री रामएकबाल सिंह,सहायक
5. श्री मदन मोहन सिंह

Scanned with OKEN Scanner

6. श्री नन्द लाल प्रसाद,
7. श्री अजय कुमार सिंह
8. श्री कामेश्वर यादव
9. मो0 शेर आलम,प्रतिनियुक्त आशुलिपिक

इनमें से श्री जवाहर लाल सिंह,प्रधान सहायक, श्री नन्द लाल प्रसाद,सहायक,मो0 शेर आलम आशुलिपिक एवं श्री मदन मोहन सिंह राजस्व प्रशाखा का कार्य सम्पादित करते हैं ।

उपरोक्त कर्मियों के बीच कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार किया गया है :–

कमांक	प्रधान सहायक / सहायक का नाम	आवंटित कार्य
1	श्री बैजनाथ प्रसाद प्रधान सहायक	1. सरकारी आदेश एवं अनुदेश 2. लोक सभा विधान सभा प्रश्नोत्तर 3. निरीक्षण 4. अंकेक्षण 5. रिट याचिका संबंधित 6. जन शिकायत कोषांग 7. शस्त्र निरीक्षण 8. विविध 9. रक्षी संचिका ।
2	श्री जवाहर लाल सिंह,प्रधान सहायक राजस्व प्रशाखा	1.राजस्व बैठक 2.राज्यसभा विधान सभा प्रश्न 3. लगान 4. भूबन्दोबस्ती 5.सैरात 6.अतिकमण 7.भूदान 8.चकबन्दी 9.दाखिल खारिज 10.भूहदबन्दी 11. न्यूनतम मजदूरी 12.व्यवसायिक लगान 13.विविध 14.अंकेक्षण 15.सी.डब्ल्यू.जे.सी. 16. जनशिकायत ।
3	श्री नन्द लाल प्रसाद,सहायक	1.प्राप्त पत्रों की पंजी का संधारण 2.प्रमाण पत्र 3.शिक्षा 4.साहाय्य 5.20सूत्री कार्यकम 6.कीमी लेयर प्रमाण पत्र ।
4	श्री अजय कुमार सिंह सहायक	1.विकास 2.स्थापना 3.कल्याण 4.मनोरंजन 5.विविध ।
5	श्री मदन मोहन सिंह,जनसेवक	1. कार्यपालक दण्डाधिकारी के पेशकार

Scanned with OKEN Scanner

		स्वतंत्रता सेनानी 3. वृद्धावस्था पेंशन 4.मातृत्व लाभ योजना 5.प्रवासी मजदूरों के संबंध में 6. सहायय 7.नीलाम पत्र 8.निर्गत पत्रों की पंजी का संधारण ।
6	श्री कामेश्वर यादव,राजस्व कर्मचारी	1.अनुमण्डल पदाधिकारी के सामान्य पेशकार 2. न्यायालय कार्य से संबंधित संचिका ।
7	श्री रामएकबाल सिंह सहायक	1.निर्वाचन कार्य 2.आपूर्ति शाखा का कार्य ।
8	श्री बैजनाथ प्रसाद नाजिर	1.नजारत का सम्पूर्ण प्रभार 2.सामान्य रोकड बही 3.सहायक रोकड बही 4.अभिश्रव पंजी 5. नाजिर रसीद पंजी 6.कन्टीजेन्ट पंजी 7.अग्रिम रोकड बही 8.कन्टीजेन्ट आवंटन पंजी 9.नजारत से संबंधित पत्राचार की संचिका ।

जनता दरवार के आयोजन के बारे में पूछे जाने पर अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनता दरबार का आयोजन किया जाता है इसके लिए एक अलग से पंजी संधारित की गयी है । निदेश दिया गया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तार जनता दरबार में ही कर दिया जाय साथ ही साथ अधोहस्ताक्षरी के स्तर से जो आवेदन पत्र जांच हेतु भेजे जाते है उन आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्रवाई अविलम्ब किया जाय तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय । जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि गरीब एवं निरीह जनता अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी फरियाद लेकर दूरदराज इलाकों से चलकर आती है । यदि प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो वे गलत रास्ता अख्तियार करने को विवश होते है । इसलिए इस बात पर ध्यान दिया जाय कि जन समस्याओं का निराकरण शीघ्र हो । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी के यहां प्राप्त शिकायत पत्रों एवं अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त होनेवाले शिकायत पत्रों की अलग अलग पंजी संधारित की जाय । पंजी का संधारण प्रखण्डवार किया जायेगा।

जन शिकायत पत्रों से संबंधित पंजी संधारित की है। इससे संबंधित संचिका का अवलोकन किया गया और पाया गया कि मोहनियां अनुमण्डल में कुल 21 जनशिकायत पत्र प्राप्त हुए है जिसमें 3 का निष्पादन कर दिया गया है । शेष के विषय में बताया गया कि जांच प्रतिवेदन आना बाकी है । निदेश दिया गया कि यदि 15 दिन के अन्दर जबाब नहीं आता है तो 16वें दिन निश्चित रूप से रिमाइण्डर भेजना है । अर्थात प्रत्येक 15 दिन पर रिमाइण्डर भेजा जाय ।

मोहनियां अनुमण्डल के अन्तर्गत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सका है । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि संबंधित थानों से सम्पर्क कर प्रखण्डवार शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की पूर्ण विवरणी प्राप्त कर ली जाय और विवरणी की एक प्रति उपलब्ध कराई जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

(17) शस्त्र पंजी :–

शस्त्र पंजी संधारित की गयी है । जिसका अवलोकन किया गया और पाया गया कि यह पंजी विहित प्रकिया के अनुरूप संधारित की गयी है जिसपर संतोष व्यक्त किया गया ।

सामान्य शाखा की संचिका संख्या गट–02/04 का अवलोकन किया और पाया गया कि संचिका में कमांक नहीं दिया गया है । इस प्रकिया से असंतुष्ट होकर निदेश दिया गया कि संचिका में पत्राचार एवं टिप्पणी दोनों पर कमांक देना अनिवार्य है । भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(18) जाति प्रमाण पत्र पंजी :–

जाति प्रमाण पत्र की पंजी संधारित की गयी है । बताया गया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात ही अनुमण्डल स्तर से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

(19) स्वतंत्रता सेनानी :–

समीक्षा के कम में बताया गया कि इस अनुमण्डल में कुल 22 स्वतंत्रता सेनानी पेन्शनर है । बताया गया कि मार्च 2000 तक का स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन का भुगतान हुआ । उसके बाद से आवंटन नहीं आने के कारण भुगतान नहीं हो सका है ।

(20) विकास योजना:–

विकास योजनाओं की समीक्षा करने के पश्चात अनुमण्डल स्तर पर प्रतिवेदन तैयार रखने का आदेश दिया गया और कहा गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार की सभी विकास योजनाओं की नियमित रूप से जांच सुनिश्चित करें

(21) छात्रवृति वितरण:–

छात्रवृति वितरण के बारे में पूछे जाने पर अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां द्वारा बताया गया कि छात्रवृति का वितरण प्रखण्ड स्तर पर किया जाता है । निदेश दिया गया कि अनुमण्डल स्तर पर यह सूचना अवश्य उपलब्ध रहना चाहिए कि किस प्रखण्ड को कितना पैसा दिया गया और कितना वितरण हुआ और कबतक वितरण हुआ । समय समय पर प्रखण्डों में भ्रमण कर इस कार्य की समीक्षा की जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

(22)

राजस्व शाखा

(क) परिचय

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का राजस्व शाखा अनुमण्डल कार्यालय के परिसर में अवस्थित सामुदायिक भवन में चल रहा है । इसी भवन में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मोहनियां का कार्यालय कक्ष एवं न्यायालय कक्ष भी अवस्थित है । कमरे में तीन आलमीरा,चार स्टील का बक्सा,दो छोटा रैक,दो कुर्सी रखा गया है । कुछ पुरानी संचिकाओं/अभिलेखों को लालरंग के कपडे में बांधकर सूची बनाकर रखा गया है । एक आलमीरा में बगैर सूची के कुछ कागजात रखे गये है । पूछे जाने पर प्रधान सहायक श्री जवाहर लाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ अभिलेखों की सूची बना ली गयी है और कुछ का बनाना है । निदेश दिया गया कि सभी अभिलेखों की सूची बनाकर अभिलेखागार में एक महीना के अन्दर जमा कर दिया जाय ।

इस अनुमण्डल में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद दिनांक–17.05.2003 से रिक्त है । इसलिए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का कार्य अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा ही संचालित किया जा रहा है । भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदस्थापन हेतु सरकार से अनुरोध करने का निदेश दिया गया ।

इस शाखा में एक मात्र प्रधान सहायक श्री जवाहर लाल सिंह कार्यरत है जो दिनांक–15.07.99 से पदस्थापित है ।

(ख) पूर्व निरीक्षण

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां के राजस्व शाखा का पूर्व में किये गये निरीक्षण की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रम सं0	निरीक्षी पदा0 का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	श्री आर.के.श्रीवास्तव,भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी कैमूर(भभुआ)	25.03.94	14.04.95	09.10.95
2	श्री रामेश्वर पाठक, सचिव राजस्व पर्षद, बिहार,पटना	07.11.94	08.02.95	09.10.95
3	कार्यालय अधीक्षक, कैमूर	16.09.95	10.11.95	16.08.96
4	श्री गौरीशंकर सिंह, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मोहनियां	28.08.96	03.08.96	26.06.96
5	श्री चंचल कुमार,भा.प्र.से. जिला पदाधिकारी,कैमूर(भभुआ)	15.07.97	26.07.97	29.08.97

Scanned with OKEN Scanner

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों के लिए रक्षी संचिका संधारित की गयी है । निरीक्षण टिप्पणी से संबंधित रक्षी संचिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री आर.के.श्रीवास्तव द्वारा दिनांक–25.03.94 को निरीक्षण किया गया है निरीक्षण टिप्पणी 14.04.94 को प्राप्त हुई है परन्तु अनुपालन लगभग 18 माह बाद 09.10.95 को किया गया है । अनुमण्डल के गठन के पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्त्ता ने एक बार एवं कार्यालय अधीक्षक ने सिर्फ एक बार राजस्व शाखा का निरीक्षण किया है । वर्ष 1997 के बाद से इस शाखा का कभी भी निरीक्षण नहीं हुआ । उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां द्वारा स्वयं कभी भी इस शाखा का निरीक्षण नहीं किया गया है जो चिन्तनीय है । वर्तमान अनुमण्डल पदाधिकारी लगभग एक वर्ष की अवधि से पदस्थापित है लेकिन इन्होनें भी अपने कार्यालय का निरीक्षण नही किया है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को वर्ष में दो बार अपने कार्यालय का निरीक्षण अवश्य करना है । अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें । उप विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता के द्वारा भी इस कार्यालय का निरीक्षण कभी नहीं किया गया है । सभी निरीक्षी पदाधिकारियों पदाधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि नियमानुसार इस अनुमण्डल कार्यालय का निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जाय ।

(ग) पत्राचार

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम 8 खण्ड(प) एवं (पप) के आलोक में पत्राचार के लिए प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी का संधारण किया गया है जिसे पंचांग वर्ष के प्रारम्भ से खोला गया है । विगत दो वर्षों में प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :–

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत पत्रों की संख्या
2002	145	267
2003	236	215

अनुमण्डलीय राजस्व शाखा में निरीक्षण की तिथि तक कुल 134 पत्र प्राप्त दिखाये गये है । इन सभी पत्रों को संबंधित सहायकों के लौगबुक से मिलान किया गया और सही पाया गया । प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की पंजी संधारित की गयी है लेकिन उसके सभी कॉलम नहीं भरे गये है । सभी संबंधित सहायकों के लॉगबुक के कॉलम भी नहीं भरे गये है । निदेश दिया गया कि सभी लम्बित पत्रों को लाल स्याही से अंकित किया जाना चाहिए । निदेश दिया गया कि जिला स्तर से प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन दृढतापूर्वक सुनिश्चित किया जाय । प्रधान सहायक श्री जवाहर लाल सिंह को आदेश दिया गया कि विगत एक माह के अन्दर सभी अभिलेखों की सूची बनाकर जिला अभिलेखागार में जमा कर दें ।

Scanned with OKEN Scanner

(घ) लगान वसूली

मोहनियां अनुमण्डल के अन्तर्गत अवस्थित पांच अंचलों में भूलगान की कुल मांग–4186499–55 रूपये है जिसके विरूद्ध माह जनवरी 2004 तक की वसूली 2217573–26 रूपये की गयी है जो कुल मांग का 52.97 प्रतिशत है । विगत वर्ष में इस अनुमण्डल की उपलब्धि 99.89 प्रतिशत थी । वर्तमान वित्तीय वर्ष के लगान वसूली की अंचलवार स्थिति निम्न प्रकार है :–

कमांक	अंचल कानाम	मांग वर्ष 2003–2004			कुल वसूली			प्रतिशत
		बकाया	हाल	योग	बकाया	हाल	योग	
1	मोहनियां	2741.95	1285362	1288103.95	2741.95	655190.55	657932.50	51.08
2	कुदरा	189645.29	634419.71	824065.00	122647.00	348802.00	471449.00	57.21
3	दुर्गावती	172908.03	507841.97	680750.00	172908.03	161948.73	334856.76	49.19
4	रामगढ़	311552.70	351282.30	682835.00	216091.00	98696.00	314787.00	47.49
5	नुआंव	731.90	730014.00	730745.90	731.90	437816.10	438548.00	60
योग		677589.87	3508919.98	4186499.85	515119.88	1702453.38	2217573.26	52.97

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मार्च महीना प्रारम्भ हो चुका है इसके बाद भी इस अनुमण्डल की उपलब्धि मात्र 52.97 प्रतिशत है । सबसे खराब स्थिति रामगढ़ अंचल की है ।इस उपलब्धि पर अत्यन्त ही असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि इसी माह मार्च के अन्दर ही शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करना है अन्यथा वे स्वयं जिम्मेवार होगें ।अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सतत् प्रयत्नशील हो जांय ।

(च) सैरात वन्दोबस्ती

सैरात के संबंध में बताया गया कि इस अनुमण्डल में कुल सैरातों की संख्या 46 है जिसमें से 42 सैरातों की वन्दोबस्ती की जा चुकी है । दो सैरात को परता घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है एवं शेष दो सैरात को सैरात पंजी के हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है । इस अनुमण्डल में सैरात वसूली का कुल मांग 48,282–00 रूपया है जिसके विरूद्ध माह जनवरी 2004 तक 48415–00 की वसूली की जा चुकी है जो कुल लक्ष्य का 102 प्रतिशत है । सैरात की वसूली एवं वन्दोबस्ती की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया ।

Scanned with OKEN Scanner

(छ) भूहदबन्दी

मोहनियां अनुमण्डल के अन्तर्गत 2381.81 एकड भूमि अर्जित है । जिसमें से 401.37 एकड भूमि विभिन्न न्यायालयों से विलोपित कर दिया गया है तथा 516.95 एकड भूमि सुयोग्य श्रेणी के लोगों के बीच वितरित कर दिया गया है एवं 104.55 पर वन्दोबस्ती की कार्रवाई चल रही है । शेष 1358.9350 एकड भूमि विभिन्न न्यायालयों में लम्बित है । इस अनुमण्डल में भूहदबन्दी वादों का निष्पादन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा किया जाता है । वर्तमान में इस अनुमण्डल में 01 वाद लम्बित है । भूहदबन्दी पंजी भी संधारित की गयी है । कुछ भूहदबन्दी के अभिलेख लालरंग के कपडे में बंधा पाया गया ।इसके बारे में बताया गया कि ये निष्पादित अभिलेख हैं । निदेश दिया गया कि सभी निष्पादित अभिलेखों की सूची बनाकर अभिलेखागार में जमा कर दिया जाय अन्यथा संबंधित सहायक के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी । लम्बित मामले का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित किया जाय ।

भूहदबन्दी से संबंधित वाद संख्या–05/75–76 एवं 18/95–96 सरकार बनाम श्री बद्री नारायण सिंह का अवलोकन किया और पाया कि दिनांक–29.07.2002 को अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया । उक्त अभिलेख को अपर समाहर्त्ता कैमूर के पत्रांक–310 दिनांक–26.04.2003 द्वारा 5 विन्दुओं पर अनुमण्डल पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है। लेकिन अभीतक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है । अन्तिम आदेश में लिखा गया है कि दिनांक–26.02.2004 को अंचल अधिकारी दुर्गावती रामगढ़ एवं मोहनियां से प्रतिवेदन की मांग करें । इतनी लम्बी अवधि से भूहदबन्दी के मामले को लम्बित रखना उचित नहीं है । निदेश दिया गया कि इसप्रकार के मामलों का निष्पादन कर सूचना दें । इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि भूहदबन्दी के निष्पादित 12 अभिलेखों के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करावें । अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता की शक्ति प्रदत्त नहीं होने के कारण यह कार्य अबतक नहीं किया जा सका है । अब शक्ति प्राप्त हो गयी है इसलिए इसका निष्पादन अविलम्ब सुनिश्चित करें । अगले माह में इसके निष्पादन की समीक्षा की जायेगी

(ज) <u>दाखिल खारिज</u>

मोहनियां अनुमण्डल के पांचों अंचलों में कुल 8349 दाखिल खारिज के मामले दायर किये गये थे। जिसमें से 3814 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है । अभी दाखिल खारिज के 851 मामले लम्बित है जिनकी अंचलवार स्थिति निम्नप्रकार है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	1.4.03 को लम्बित वादों की सं0	1.4.03से अबतक दायर वादों की सं0	कुल वादों की संख्या	अबतक कुल निष्पादित वादों की सं0	कुल लम्बित वादों की सं0	अभियुक्ति
1	मोहनियां	18	1048	1066	1063	3	
2	कुदरा	9	1380	1389	1576	13	
3	रामगढ़	——	578	578	432	146	

Scanned with OKEN Scanner

4	नुआंव	—	742	742	741	001	
5	दुर्गावती	05	685	690	02	688	
योग		32	8317	8349	3814	851	

अंचल कार्यालय दुर्गावती एवं रामगढ़ में बहुत अधिक संख्या में दाखिल खारिज के मामले लम्बित पाये जा रहे है । प्रत्येक माह आयोजित की जानेवाली मासिक बैठकों में कैम्प आयोजित कर दाखिल खारिज के मामलों का निष्पादन संबंधी बार बार निदेश दिये जाने के बावजूद इतना अधिक संख्या में मामलों के लम्बित रहने पर असंतोष एवं क्षोभ व्यक्त किया गया तथा निदेश दिया गया कि मार्च 2004 के अन्त तक सभी मामलों को निष्पादित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय ।

(झ) खाता पुस्तिका

इस अनुमण्डल के पांच अंचलों में कुल 693 राजस्व ग्राम है जिसमें से खाता पुस्तिका के लिए 205 ग्रामों को चयनित किया गया है । इन चयनित ग्रामों में अभिधारी खाता पुस्तिका की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है जिसमें से 163 ग्रामों में खाता पुस्तिका का वितरण किया जा चुका है । इस ग्राम में कल 9449 रैयत है जिसमें 8795 लोगों को खाता पुस्तिका वितरित हो चुका है ।

प्रखण्डवार अभिधारी खाता पुस्तिका की स्थिति निम्न है :–

कमांक	अंचल का नाम	राजस्व ग्रामों की सं0	कितने ग्रामों में कार्य आरम्भ हुआ है	कितने ग्रामों में प्रारूप प्रकाशन हुआ है	कितने ग्रामों में अन्तिम प्रकाशन हुआ है	कितने ग्रामों में खाता पस्तिका का वितरण हुआ है	खाता पुस्तिका प्राप्त रैयतों की संख्या	प्रतिशत
1	मोहनियां	209	71	67	67	67	2999	
2	रामगढ़	126	33	30	30	30	1559	
3	नुआंव	91	24	21	21	21	781	
4	दुर्गावती	108	40	31	24	24	1863	
5	कुदरा	159	37	31	21	21	1593	
योग		693	205	180	168	163	8795	

निदेश दिया गया कि तत्परता के साथ खाता पुस्तिका तैयार कर वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

Scanned with OKEN Scanner

(ट) व्यवसायिक लगान

मोहनियां अनुमण्डल के सभी पांचों अंचलों में कुल 191 व्यवसायिक लगान से संबंधित मामले थे जिसमें से 150 मामलों का निष्पादित कर दिया गया है । अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शेष 33 मामले अंचल स्तर पर लम्बित है । जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि अंचल स्तर पर लम्बित कह देने से आपकी जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती है । अनुमण्डल पदाधिकारी पर अनुमण्डल की सारी जबाबदेही होती है । इसलिए इन लम्बित मामलों के निष्पादन की दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि व्यवसायिक लगान का निर्धारण सरकारी राजस्व की बृद्धि में एक महत्वपूर्ण कदम है । इसलिए अपने अधीनस्थ सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वेक्षण कराकर लगान निर्धारण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि सरकारी राजस्व की बृद्धि हो सके ।

(ठ) लगान निर्धारण

चकबन्दी न्यायालय द्वारा रैयतों के नाम बिहार सरकार भूमि का जो खाता खोला गया है उसके लगान निर्धारण पर रोक लगाई गयी है । इस संबंध में निदेश दिया गया कि संबंधित अंचल अधिकारी सरकारी अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील दायर करने की कार्रवाई करें ।

(ड) भूदान

मोहनियां अनमण्डल के पांच अंचलों में भूदान से कुल 336.51 एकड जमीन प्राप्त है जिसमें से 215.42 एकड की सम्पुष्टि हो चुकी है । इस सम्पुष्ट भूमि में से 193.51 एकड भूमि का वितरण 469 लाभार्थियों के बीच किया जा चुका है जो उनलोगों के दखल कब्जा में है । शेष 21.91 फर्जी दन एवं वितरण के अयोग्य है । निदेश दिया गया कि सभी संबंधित अंचल अधिकारी भूदान कार्यालयसे दान की भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त कर लें तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को एवं जिला राजस्व कार्यालय को सूचित करें ।पूछे जाने पर बताया गया कि वर्तमान समय में भूदान से संबंधित एक भी मामला लम्बित नहीं है ।

(ढ़) बासगीत पर्चा

इस अनुमण्डल में पांच अंचलों में वर्ष 2002–03 तक कुल 1706 लाभार्थियों को 134.25 एकड भूमि का बासगीत पर्चा दिया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2003–04 में 4 लाभार्थियों के बीच 0.11 एकड भूमि का पर्चा दिया गया है । वर्तमान समय में बासगीत पर्चा से संबंधित कोई मामला लम्बित नहीं है ।

निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण कराकर अंचल अधिकारियों से यह प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय कि उनके अंचल में कोई भी जरूरतमन्द बासगीत पर्चा हेतु अवशेष नहीं है ।

Scanned with OKEN Scanner

(ण) न्यूनतम मजदूरी

समीक्षा की गयी और पाया गया कि इस अनुमण्डल में न्यूनतम मजदूरी से संबंधित 62 मामला लम्बित है । जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया इस अनुमण्डल में पदस्थापित सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से सर्वेक्षण कराकर प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय कि उनके अधीन कोई भी न्यूनतम मजदूरी से संबंधित मामला नहीं है साथ ही लम्बित मामलों के त्वरित निष्पादन की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा निष्पादनोपरान्त अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया जाय ।

(त) बंटाईदारी

समीक्षा की गयी और पाया गया कि इस अनुमण्डल में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर बंटाईदारी से संबंधित 52 मामले दायर किये गये है जो सभी एक ही भूधारी से संबंधित है । इन मामलों में सुनवाई चल रही है । निदेश दिया गया कि इन मामलों के नियमानुसार निष्पादन की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाय ।

नीलाम पत्र शाखा

(23)

मोहनियां अनुमण्डल में नीलाम पत्र वाद से संबंधित पंजी 10 संधारित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2003–2004 में कुल 233 नीलाम पत्र के वाद लम्बित थे जिसमें 3,14,22,826–17(तीन करोड चौदह लाख बाईस हजार आठ सौ छब्बीस) रूपये की राशि सन्निहित है। पूरे वित्तीय वर्ष में 15 मामलों का निष्पादन किया गया है जिससे 2122897–25 पैसे की वसूली हुई है । इस प्रकार माह फरवरी 2004 तक कुल 218 मामले लम्बित है जिसमें सन्निहित राशि 2,92,05,928.89 रूपये है । इसप्रकार मोहनियां अनुमण्डल में लम्बित नीलाम पत्र वादों की संख्या अधिक है ।इस अनुमण्डल में चल रहे नीलाम पत्र वादों का अवलोकन किया गया और पाया गया कि श्री पुरूषोत्तम ओझा कार्यपालक दण्डाधिकारी मोहनियां के न्यायालय में कुल 165 नीलाम पत्र के मामले लम्बित थे वर्तमान वित्तीय वर्ष में 11 मामले निष्पादित किये गये है अभी भी 154 मामले लम्बित पडे हुए है । मोहनियां अनुमण्डल में अनुमण्डल पदाधिकारी के अतिरिक्त श्री पुरूषोत्तम ओझा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मोहनियां को नीलाम पत्र पदाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है । लेकिन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का पद रिक्त है । इस संबंध में पूछे जाने पर श्री ओझा के द्वारा बताया गया फार्म 9 एवं 10 का मिलान करने पर लगभग 25 प्रतिशत मामले का निष्पादन हो जायेगा ।निदेश दिया गया कि अविलम्ब फार्म 9 एवं 10 का मिलान कर मामले को निष्पादित किया जाय । इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां के न्यायालय में कुल 14 नीलाम पत्र के मामले लम्बित थे जिसमें से वर्तमान वर्ष में 3 मामले निष्पादित किये गये है । अभी भी इनके न्यायालय में 11 मामले लम्बित है ।निदेश दिया गया कि लम्बित मामलों की संख्या बहुत ही कम है अतः ध्यान देकर इसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाय ।

नीलाम पत्र वाद से संबंधित अभिलेख संख्या–10/99–2000 श्री रामबचन चौबे पिता सीताराम चौबे का अवलोकन किया गया। यह वाद भारतीय स्टेट बैंक की कृषि विकास शाखा द्वारा 4,93,672/–रूपया लोन के विरूद्ध दायर किया गया है । मामला 05.03.2000 को

Scanned with OKEN Scanner

दायर हुआ है जिसमे दिनांक–18.12.2002 को अंचल अधिकारी दुर्गावती के यहां बॉन्डी वारंट का कार्यान्वयन हेतु भेजा गया है लेकिन उसका कार्यान्वयन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है । वर्ष 2002 के बाद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है । यह बहुत ही गम्भीर बात है । निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी दुर्गावती से स्पष्टीकरण पूछा जाय कि अभी तक इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई की गयी।

पंजी 10 का अवलोकन किया । इस पंजी में की गयी कार्रवाई की प्रविष्टि नहीं की गयी है । निदेश दिया गया कि ब्रान्चवाइज रजिस्टर का संधारण किया जाय तथा 15 दिन के अन्दर यह कार्रवाई सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय ।

इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बॉन्डी वारंट के लिए लालरंग का सूचना भेजा जाना चाहिए ।

नीलाम पत्र वादों की प्रगति के प्रति जिला पदाधिकारी द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गयी और निदेश दिया गया कि इसमें अपेक्षित प्रगति लाई जाय ।

उपरोक्त समीक्षा के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी नीलाम पत्र वादों की नियमित समीक्षा करेंगें और समीक्षात्मक प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर भेजना सुनिश्चित करेंगें ।
2. निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नीलाम पत्र से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला नीलाम पत्र प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।
3. सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अपने अधीन अलग नीलाम शाखा कायम करेंगें और उसमें सहायक को पदस्थापित कर सभी अभिलेखों के संधारण की जिम्मेवारी दी जाय ।
4. एक विभाग के अभिलेख यथा सम्भव एक ही पदाधिकारी के पास रखे जांय ।
5. नीलाम पत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके न्यायालय में जो भी नीलाम पत्र वाद प्राप्त होता है उसका भौतिक सत्यापन करने के पश्चात वादों की संख्या एवं उसमें सन्निहित राशि की विवरणी तैयार करायेंगें और इस विवरणी की एक प्रति जिला नीलाम पत्र प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें ।
6. नीलाम पत्र पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र वादों से संबंधित न्यायालय कार्य नियमित रूप से करना सुनिश्चित करे तथा मेरिट के आधार पर ससमय उसका निष्पादन सुनिश्चित करेंगें । उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि बहुत लम्बी अवधि से लम्बित बड़े बकायेदारों से संबंधित वाद में BW/DW आदि निर्गत करेंगें तथा उसका कियान्वयन भी सुनिश्चित करेंगें ।
7. सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे माह में दो दिन यथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह की 25 एवं 30 तारीख को तथा अनुमण्डल स्तर पर प्रत्येक माह की 10 तारीख को पंजी IX एवं X का मिलान करेंगें ।
8. जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर ली जाय एवं प्राथमिकता के आधार पर उसका निष्पादन सुनिश्चित किया जाय । नीलाम पत्र वादों में पारित आदेश कार्यान्वयन पर्यवेक्षीय पदाधिकारी द्वारा सशस्त्र बल के साथ कराया जायेगा इसके लिए एक रोस्टर तैयार कर लिया जाय । इसके अतिरिक्त यह भी निदेश दिया गया

Scanned with OKEN Scanner

कि अनुमण्डल पदाधिकारी सहित अन्य नीलाम पत्र पदाधिकारी बडे बकायेदारों की सूची एवं उनपर बकाया राशि की विवरणी तैयार कराकर सार्वजनिक स्थलों पर चिपकायेगें ।

9. जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिस नीलाम पत्र पदाधिकारी की प्रगति 50 प्रतिशत से अधिक होगी उस पदाधिकारी को प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा । अनुमण्डल में नीलाम पत्र से संबंधित मामलों के निस्तार एवं वसूली की स्थिति पर चिन्ता व्यक्त की गयी एवं आशा व्यक्त की गयी कि इस ओर अपेक्षित ध्यान दिया जायेगा ।

10. नीलाम पत्र शाखा के सहायक को निदेश दिया गया कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के माध्यम से जिन वादों का निस्तार कराया गया है उसकी सूची प्राप्त होते ही संबंधित अभिलेखों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें ।

11. जिला पदाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि जिला स्तर पर नीलाम पत्र पदाधिकारियों की बैठक प्रत्येक माह हुआ करेगी जिसमें सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य है ।

12. सरकारी राजस्व से संबंधित मामले जो लम्बी अवधि से लम्बित चले आ रहे हैं उसका निष्पादन शीघ्रतिशीघ्र किया जाय । इसके साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि बैंक से संबंधित मामलों के निस्तार में जो बैंक के पदाधिकारी अभिरूचि नहीं ले रहे है उनके संबंध में प्रतिवेदित किया जाय ताकि उनके विरूद्ध उच्चाधिकारी को पत्र लिखा जा सके।

13. जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि उनके अनुमण्डल में जितने भी नीलाम पत्र वाद हैं उसे पदाधिकारीवार/सहायकवार/बैंकवार/ विभागवार वर्गीकृत करके रखा जाय ताकि उसके अनुश्रवण में कोई कठिनाई न हो । रजिस्टर X को अमेशा अद्यतन रखा जाय एवं सन्निहित राशि की वसूली तत्परतापूर्वक किया जाय ।

14. जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार आरक्षी हस्तक के नियम 32 के तहत उन्हें अपने क्षेत्र के अन्तर्गत थाना का निरीक्षण करने का अधिकार प्रदत्त है जिसके आलोक में अधीनस्थ थानों का नियमित निरीक्षण किया जाय जिसमें खासकर नीलाम पत्र वाद से संबंधित बी.डब्ल्यू./डी.डब्ल्यू. के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाय ताकि सन्निहित राशि की वसूली हो सके ।

15. समीक्षा के कम में यह तथ्य भी सामने आये कि बैंक से जो अधियाचना पत्र प्राप्त होते है उसमें इस बात का जिक नहीं रहता है कि किस उद्देश्य से ऋण लिया गया था उसमें कितनी राशि की वसूली हो चुकी है कितनी राशि बकाया है एवं क्या एकरारनामा किया गया था । जिला पदाधिकारी ने संबंधित बैंक के समन्वयकों को निदेश दिया कि अधियाचना पत्र भेजते समय उपरोक्त आंकडों के साथ एकरारनामा की छाया प्रति भी भेजी जाय ।

16. सभी अनुमण्डल पदाधिकारी नियमित रूप से अपने अधीनस्थ चल रहे नीलाम पत्र वादों की समीक्षा किया करें ।

Scanned with OKEN Scanner

(24) स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पंजी

इस अनुमण्डल में स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पंजी संधारित की गयी है । पूछताछ के क्रम में बताया गया कि इस अनुमण्डल में कुल 23 स्वतंत्रता सेनानी है । जिसमें से 03 की मृत्यु हो चुकी है । बताया गया कि जिला कार्यालय से प्राप्त आवंटन के आधार पर निदेश दिया गया कि इस संबंध में एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय ।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय में निम्नलिखित पंजियां संधारित की गयी है :– स्टाफ पंजी,उपस्थिति पंजी,भण्डार पंजी,कर्मपुस्त,प्रधान सहायक नोटबक,रक्षी संचिका,संचिका गतिविधि पंजी,चपरासी बही,आवंटन पंजी, विपत्र पंजी,डाक टिकट पंजी प्रमाण पत्र पंजी/कोर्ट डायरी पंजी इत्यादि । जांच के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि सभी पंजियां पदाधिकारी द्वारा सत्यापितकी गयी है एवं पूर्व में निर्गत किये गये आदेशों का अनुपालन करने का प्रयास किया जा रहा है । निदेश दिया गया कि नियमित रूप से सभी पंजियों की नियमानुसार प्रविष्टि सुनिश्चित की जाय ।

(25) निष्कर्ष

अनुमण्डल कार्यालय मोहनियां का कार्य संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । नीलाम पत्र वादों के निष्पादन की स्थिति विचारणीय है । इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है । वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर नजारत शाखा में दिये गये निदेशों के अनुपालन की आवश्यकता है । अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया किदिये गये निदेश के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय । यदि निर्धारित प्रकिया के तहत् कार्य किया जाय तो इसमें गुणात्मक सुधार की संभावना है ।

Rajendra 18.6.2004

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

ज्ञापांक– ~~XX~~-4104-1271 दिनांक– 21.06.2004

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी मोहनियां /भूमि सुधार उप समाहर्त्ता मोहनियां को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 18.6.2004

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांकः– ~~XX~~-4/04-1271 दिनांक– 21.06.2004

प्रतिलिपि मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि सदस्य राजस्व पर्षद बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त,पटना प्रमण्डल पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता कैमूर(भभुआ)/स्थापना उप समाहर्त्ता कैमूर(भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

Rajendra 18.6.2004

समाहर्त्ता एवं जिलाधिकारी,
कैमूर(भभुआ)

Scanned with OKEN Scanner